सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
माघ 12, गुरूवार, *शाके* 1945-फरवरी 01, 2024 *Magha 12 Thursday , Saka 1945- February 01 , 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 05, 2024

संख्या प.4(20)कृषि/ग्रुप-2/2016 :-राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 की धारा 7 की उप धारा 1 के खण्ड ख एवं धारा 7 की उप धारा (2) के खण्ड (ब) के अन्तर्गत नवगठित कृषि उपज मण्डी समिति बानसूर के प्रथम बोर्ड के गठन हेतु इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.4(21) कृषि/ग्रुप-2/2020 दिनांक 23.08.2022 के द्वारा निम्नाकिंत मनोनीत सदस्यों का मनोनयन राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 की धारा 7 की उप धारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।:-

कृषक वर्गः-

श्री माडाराम

श्रीमती गुलाब देवी

श्री राम

श्रीमती कमला देवी

श्री राजेन्द्र

श्री सतीश यादव

व्यापारी वर्गः-

श्री वेदप्रकाश ऐरन

ग्राम सहकारी समिति सदस्य

श्री ताराचन्द

स्थानीय निकाय

श्रीमती कमलेश पंसारी

विधान सभा का सदस्यः-

श्रीमती शुंकुतला रावत

राज्य सरकार द्वारा नामितः-

श्री भोमाराम

राज्यपाल की आज्ञा से,

कुन्तल विश्नोई,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।